न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2014/00001

1. रमेश आत्मज बी0 आर0 शर्मा निवासी जयपुर कला पंजाब जरिये मुख्तार आम श्री बाबूराम आत्मज श्री भैरूलाल जाति लश्करी निवासी डी.सी.एम. तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. महेन्द्र सिंह आत्मज श्री गुरूमीत सिंह जाति सिक्ख निवकासी नगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।
2. अब्दुल रहमान पुत्र श्री अब्दुल रजाक मुसलमान निवासी फाईव स्टार टेन्ट हाउस, पुलिया के पास, कैथून जिला कोटा ।

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 15.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.02.2014 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत वाद वास्ते घोषणा हेतु प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में बन्दोबस्त के पूर्व खसरा नम्बर 462 की रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी कम 01 के खातेदारी में दर्ज थी । वर्तमान बन्दोबस्त विभाग द्वारा गत खसरा नम्बर 462 के नये खसरा नम्बर 925 कायम कर रकबा 0.61 हैक्टर वादी कम 01 के खातेदारी में दर्ज कर दिया जबकि 07 बीघा 10 बिस्वा के 1.20 हैक्टर होते हैं । इस प्रकार बन्दोबस्त विभाग द्वारा अवैध रूप से 1.20 हैक्टर के स्थान पर केवल 0.61 हैक्टर दर्ज कर 0.59 हैक्टर आराजी अवैध रूप से नये खसरा नम्बर 924 व 923 में शामिल कर दी । खसरा नम्बर 462 के नक्शा लट्ठा पर नये खसरा नम्बर 923, 924, 925 का नक्शा लट्ठा रखने पर स्पष्ट होता है कि नये खसरा नम्बर 924 पुराने खसरा नम्बर 462 पर कायम

किया गया है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 924, 925 की उत्तरी मेड से लगा हुआ नया खसरा नम्बर 0.23 हैक्टर रकबा भी गत खसरा नम्बर 462 का ही है । बन्दोबस्त विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल में अवैध रूप से खसरा नम्बर 924, 923 के मिलान क्षेत्रफल में गत खसरा नम्बर 609/461 पर कायम करना बताया है जो मौके की स्थिति व नक्शे लट्ठे के अनुसार त्रुटिपूर्ण है । खसरा नम्बर 923 व 924 जहॉ कायम है वहॉ पर 609/461 की कोई भूमि नहीं है । बन्दोबस्त विभाग द्वारा वादी क्रम 01 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 924 को सिवायचक व 923 को अमरी चन्द की गैर खातेदारी में अवैध रूप से दर्ज कर दिया तथा अवैध रूप से दर्ज कर दिया । वादी क्रम 01 ने अपने खातेदारी की सम्पूर्ण भूमि वादी क्रम 02 को विक्रय कर दी तथा सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा संभला दिया किन्तु बन्दोबस्त विभाग द्वारा 0.61 हैक्टर ही भूमि वादी क्रम 01 की खातेदारी में दर्ज होने से सम्पूर्ण भूमि का पंजीयन करवा दिया । प्रतिवादी क्रम 02 अवैध इन्द्राज के आधार पर भूमि पर अतिक्रमण करना चाहता है जिससे प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना आवश्यक हो गया है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 924 रकबा 0.26 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 923 रकबा 0.23 हैक्टर का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी के कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करे यदि दौराने दावा अतिक्रमण कर लें तो उससे उन्हें बेदखल कर कब्जा वापस वादी को दिलाया जावे ।

4. प्रतिवादी क्रम 02 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में किये गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.02.2014 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.02.2014 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र मुख्तारनामा को आधार मानकर अपीलान्ट का वाद निरस्त करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि में बन्दोबस्त के पूर्व खसरा नम्बर 462 की 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि दर्ज थी । बन्दोबस्त के बाद अपीलान्ट की खातेदारी में सिर्फ 0.61 हैक्टर भूमि ही दर्ज की जबकि 07 बीघा 10 बिस्वा के करीब 1.20 हैक्टर होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.02.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज दर्ज रजिस्टर की गईं । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने बिना तनकियात की विवेचना किये निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट के खाते में बन्दोबस्त से पूर्व खसरा नम्बर 462 की 07 बीघा 10 बिस्वा

भूमि दर्ज थी । बन्दोबस्त के बाद अपीलान्ट के खातेदारी में सिर्फ 0.61 हैक्टर भूमि ही दर्ज की जबकि 07 बीघा 10 बिस्वा के करीब 1.20 हैक्टर होते हैं । मुख्तारनामे के आधार पर दावा खारिज करने में त्रुटि की है । बन्दोबस्त से पूर्व खातेदार और नये खातेदार दोनों को ही पक्षकार बनाया गया है और अपील में नया मुख्तारनामा भी पेश कर दिया गया है । परीक्षण न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.02.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट महेन्द्र सिंह ने 0.61 हैक्टर आराजी क्रय की है और 0.61 हैक्टर आराजी के लिए ही मुख्तारनामा दिया गया है । मुख्तारनामे की जो फोटो प्रति पेश की गई है उसको प्रदर्श नहीं करवाया गया है । अपील में नया मुख्तारनामा पेश किया गया है । परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.02.2014 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया ।

11. पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 1 के अनुसार वादी के खाते में साबिक खसरा नम्बर 462 की रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा आराजी दर्ज है । प्रदर्श– 2 मिलान क्षेत्रफल है जिसमें साबिक खसरा नम्बर 462 का हाल खसरा नम्बर 925 रकबा 0.61 हैक्टर कायम किया गया है । साबिक खसरा नम्बर 462 का रकबा मिलान क्षेत्रफल में अंकित नहीं किया गया है और नकल जमाबन्दी प्रदर्श–3 के अनुसार वादी क्रम 02 महेन्द्र के खाते में हाल खसरा नम्बर 926 की 0.61 हैक्टर आराजी दर्ज है । प्रदर्श– 4 व 5 नक्शा ट्रेस की प्रतियॉ है और प्रदर्श–6 भू–प्रबन्ध विभाग का पत्रक है ।

12. पत्रावली पर वादी की ओर से बयान महेन्द्र सिंह पीडब्ल्यू–1 कराये गये हैं ।

13. वादी के द्वारा मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 462 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा का रकबा 0.61 हैक्टर कम दर्ज किया गया है । अतः उनके खाते की आराजी के रकबे की कमी–पूर्ति खसरा नम्बर 926 रकबा 0.26 हैक्टर और खसरा नम्बर 923 रकबा 0.23 हैकटर से की जावे । प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश किया है । अपील में अपीलान्ट ने नया मुख्तारनामा पेश किया है जिसमें साबिक खसरा नम्बर 462 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा भी अंकित है । परीक्षण न्यायालय के द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की गई हैं जो पत्रावली में पेज संख्या 29 पर संलग्न हैं परन्तु निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया गया है जो कि सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत है व त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.02.2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे

के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर उपयपक्षकारान की पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट रूप से विवेचन कर विधि सम्मत रूप से नये सिरे से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 01.11.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 15.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15.9.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा